ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

Port Blair, dated the 16th March, 2023

NOTIFICATION

No………/F.No.M-212/31/2022-PWD in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.14/3/60-ANL dated 11/04/1960, and in supersession of all earlier Notifications to this effect, the Hon'ble Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the **Group 'C'** Non-Gazetted post of **Surveyor** in the Andaman Public Works Department, Andaman and Nicobar Administration, namely:-

1. **Short title and commencement**:-
   (i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Administration Group 'C' Non-Gazetted post of Surveyor in the Andaman Public Works Department Recruitment Rules, 2023.
   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **No. of posts, classification and scale of pay**:-
   The number of said posts, the classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in paras 2, 3 & 4 of the Schedules annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit and qualification**:-
   The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in paras 5 to 13 of the said Schedules.

4. **Disqualifications**:- No person,

   a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; **OR**

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that, the Lt. Governor (Administrator), A&N Islands, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law, applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax**:-

Where the Lieutenant Governor (Administrator), A & N Islands is of opinion, that it is necessary or expedient to do so, he may, by order for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings**:-

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belongs to the OBC, Schedule Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D.K. Joshi
(PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM) (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman & Nicobar Islands

By order and in the name of the Lieutenant Governor, A&N Islands.

Rahul
16/3/23
Assistant Secretary (PWD)
सहायक सचिव Assistant Secretary
(लोक निर्माण) (PWD)
अण्डमान निकोबार Andaman Nicobar
प्रशासन Administration

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SURVEYOR IN ANDAMAN PUBLIC WORKS DEPARTMENT

1.	Name of Post	**SURVEYOR**
2.	No. of Post	38(Thirty eight)2023* *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Pay level -4 (Rs 25500-81100)
5.	Whether selection post or Non-selection post	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	18 – 33 years for Male 18 – 38 years for Female (The upper age is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
7.	Educational and other Qualifications required for direct recruits	i. Matriculation from a recognized board or having passed X^{th} standard from a recognized institution/Board. ii. 02(Two) years certificate course including practical training of 6(six) months in Surveyor from a recognized institution/Board. OR 01 year NTC in Surveyor trade completed during the year 2014 -15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 only. (iii) Should qualify in the written professional test to be conducted by Administration or any authorized agency for direct recruitment.

8.	Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not applicable
9.	Period of probation, if any	02(two) years **Note:-** Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority for completion of probation.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method	100% direct recruitment
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	Not applicable
12.	If a DPC exists, what is the composition?	Group 'C' DPC/ Selection Committee consisting of : 1.Chief Engineer, APWD - Chairman 2. Superintending Engineer (Plg.) APWD – Member 3. HOD (Civil), DBRAIT – Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

ANNEXURE TO SCHEDULE

1. To prepare survey site plan of Civil works
2. To make levels for road / building works
3. To maintain level field work
4. To assist Assistant Engineer for technical works
5. Any other duties/ responsibly assigned by the superiors.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

पोर्टब्लेयर, दिनांक 16 मार्च 2023

अधिसूचना

सं............/फा.सं. एम-212/31/2022-पीडब्ल्यूडी- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार,गृह मंत्रालय,नई दिल्ली के दिनांक 11/04/1960 के अधिसूचना संख्या.14/3/60-एएनएल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पिछले सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल,अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा अंडमान लोक निर्माण विभाग,अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में **सर्वेक्षक** के वर्ग `ग'(अराजपत्रित) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात:-

1.संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-
(i) इन नियमों को अंडमान लोक निर्माण विभाग में सर्वेक्षक के वर्ग `ग' (अराजपत्रित) पद की भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाएगा ।
(ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या,वर्गीकरण तथा वेतनमान:-
उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2,3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएँ आदि :-
उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा,योग्यताएँ तथा अन्य मामले वही होगा जो उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. अयोग्यताएँ :-
कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा जिसने-
(i) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसकी विवाहिती जीवित है, या
(ii) विवाहिती के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परन्तु उप राज्यपाल(प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. ढील देने की शक्ति :-

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट प्रदान करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करके आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं ।

6. <u>व्यावृत्तियाँ :-</u>

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी जो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित कराना अपेक्षित है ।

एडमिरल डी.के.जोशी
(पीवीएसएम, एवीएसएम,वाईएसएम, एनएम, वीएसएम(अवकाश प्राप्त)
उपराज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उपराज्यपाल,अं तथा नि. द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर

16/3/23
ह०/-
सहायक सचिव (लो. नि. वि)

सहायक सचिव (लोक निर्माण) Assistant Secretary (PWD)
अण्डमान निकोबार प्रशासन Andaman Nicobar Administration

अनुसूची

अंडमान लोक निर्माण विभाग में सर्वेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	**सर्वेक्षक**
2	पद संख्या	38 (अड़तीस) 2023* *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
4	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन स्तर-4 (रू. 25500-81100)
5	चयन पद या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरूषों के लिए 18-33 वर्ष महिलाओं के लिए 18-38 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी ।) **नोटः-** भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर का लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला एवं पंगी सब-डिविजन, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	i. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास हो या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड से दसवीं कक्षा पास हो । ii. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड से सर्वेक्षक में 6(छह)माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ 02(दो) वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया हो। **अथवा** वर्ष 2014-15 या 2015-16 या 2016-17 या 2017-18 के दौरान ही सर्वेक्षक ट्रेड में 01 वर्ष का एनटीसी पूरा किया हो। iii. सीधी भर्ती के लिए प्रशासन या किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी ।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	02(दो) वर्ष **नोटः-** सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि पूरा करने के लिए निर्धारित कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।
10.	भर्ती पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	लागू नहीं

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	वर्ग 'ग' पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति का गठन इस प्रकार है:- 1. मुख्य अभियंता, अंडमान लोक निर्माण विभाग -अध्यक्ष 2. अधीक्षक अभियंता (योजना),अं.लो. नि. वि - सदस्य 3. विभागाध्यक्ष(सिविल),डीब्रेट - सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

अनुसूची का अनुलग्नक

1.सिविल कार्यों का सर्वे साइट प्लान तैयार करना ।
2.सड़क/भवन निर्माण कार्यों के लिए लेवेल्स बनाना।
3.लेवेल फील्ड कार्य का रख-रखाव करना।
4.तकनीकी कार्यों में सहायक अभियंता की सहायता करना।
5.वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपी गई कोई अन्य कार्य/ज़िम्मेदारी ।